

20.5.2002.

पत्रावली पेश। वादी व वादी अधि. अनुपस्थित,  
प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। व्यापार  
समय एवं कैम्प कोर्ट कूपड़ा पर वादी व  
वादी अधि. अनुपस्थित। वादी व वादी  
अधि. को बार-बार आवाज लगवई  
परि उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली  
का निस्तारण कलकत्ता कोर्टस 9 नियम 3  
सी सी पी के तहत किया जागा इत्येत  
प्रतीत होता है।

— पत्रावली आदम परबी आदम  
दाजरी में खारीज की जाती है।

पत्रावली फ़ैलल शुमार दो  
नम्बर ले कम की जाव कारिबल  
दफ़्तर हो। निर्णय लिखा जाव  
कैम्प कोर्ट कूपड़ा में खुजाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)